



चीफ ऑफ डिफिंस स्टाफ



चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)



पृष्ठभूमि:

अनुशंसा:

* के. सुब्रमण्यम् समिति 1999

* लेफिनेंट जनरल डीवी शेक्टकर (सेवानिवृत्त) समिति 2015

भारत के पहले CDS: जनरल बिपिन रावत (नियुक्ति 1 जनवरी, 2020 को)

योग्यता:


- ♦ कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल।
- ♦ नियुक्ति के समय आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिये।

नियुक्ति:

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त।

3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण करता है।

उत्तरदायित्व



भूमिकाएँ:

- ♦ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) का स्थायी अध्यक्ष और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का सचिव
- ♦ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का प्रमुख
- ♦ सदस्यता:
 - * राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
 - * नाभिकीय केमांड प्राधिकरण
 - * डिफेंस माइक्रो एजेंसी
 - * डिफेंस स्पेस एजेंसी
 - * रक्षा अधिग्रहण परिषद
 - * रक्षा योजना समिति
- ♦ CDS राजनीतिक नेतृत्व को निष्पक्ष सलाह देने के लिये तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित किसी भी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा।

सेवानिवृत्ति के बाद प्रावधान:

- ♦ वह किसी भी सरकारी पद पर आसीन होने के योग्य नहीं होगा।
- ♦ 5 साल की अवधि तक पूर्व अनुमोदन के बिना कोई निजी रोजगार नहीं।

CDS के पद वाले अन्य देश:

- ♦ इटली
- ♦ चीन
- ♦ युनाइटेड किंगडम
- ♦ जापान
- ♦ फ्रांस
- ♦ स्पेन
- ♦ कनाडा

और पढ़ें...

PDF Reference URL: <https://www.drishtilas.com/hindi/printpdf/chief-of-defense-staff-1>

